केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/221 दिनांक: 10.08.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00192
CICOM/R/2018/00709

अपीलकर्ता : श्री रमाकेश विश्वकर्मा,
ग्राम व पो० – अजमत उल्ला गंज,
जिला – रायबरेली, उत्तर प्रदेश – 229303.

निर्णय की तारीख : 10.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.08.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	386/09.08.2018 (1164/08.08.2018)

1. उच्चतम न्यायालय को संबोधित अपीलकर्ता का दिनांक 29.06.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया तथा जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 13.07.2018 को तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हुआ, जिसके साथ संलग्न आयोग को प्रेषित चार पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का केवल पत्र सं. एवं दिनांक का उल्लेख किया गया है । अपीलकर्ता प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट हैं या नहीं इसका उल्लेख अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में नहीं किया है । श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर्मी को प्रेषित अपना एक अन्य पत्र (No. – 2711/4962/06/RTI (AA) दिनांक 22.05.2017) भी संलग्न किया है जो कि आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न नहीं था, अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पत्र (No. – 2711/4962/06/RTI (AA) दिनांक 22.05.2017) पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 AUG 2018
D. No........
Initials........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।